न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम नवगछिया, भागलपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 188/2026
परबत्ता थाना कांड संख्या – 14/2025
अन्तर्गत धारा :– 137(2),140(3),61(2),352,3(5) B.N.S.

1. पवन राय उर्फ पवन कुमार राय ..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार ..... अभियोजन पक्ष

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री विभाष प्रसाद सिंह
अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री परमानंद साह

06.06.2025 आवेदक अभियुक्त पवन राय उर्फ पवन कुमार राय की ओर से परबत्ता थाना कांड संख्या – 14/2025 में गिरफ्तारी की आशंका से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई है। उभय पक्षों को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया गया है कि इस जमानत आवेदन के पूर्व आवेदक अभियुक्तगण की ओर से कोई जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आगे उनका कथन है कि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नही किया है बल्कि उन्हें इस केस में दूषित राजनीति के तहत झूठा फॅसाया गया है। अभियोजन केस के समर्थन में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। सूचक द्वारा प्रस्तुत वाद संदेह के आधार पर दर्ज कराया गया है। कारित घटना की तिथि दिनांक 26.01.2025 की है जबकि प्राथमिकी 01.02.2025 को विलंब से दर्ज करायी गई है। उभयपक्षों में वाद को सुलह कर लिया गया है। सूचक की बेटी पीड़िता रानी कुमारी घर वापस आ गयी है। दिनांक 30.01.2025 को दोपहर 12 बजे कोई घटना नहीं किया गया है। कांड दैनिकी में कोई मजबूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक अभियुक्त धारा 482 (2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत शर्तों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

सूचक, सुशील राय के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.01.2025 की दोपहर करीब 12 बे सूचक के ग्रामीण अभिलाषा देवी, पति पवन राय व डिंपु कुमारी करीब 14 वर्ष, पिता– पवन राय मिलकर सूचक के घर पर आयी तथा सूचक की 15 वर्षीय बेटी रानी कुमारी को घर से लेकर अपने साथ गई तथा पवन राय, करीब 40 वर्ष के सहयेाग से सूचक की बेटी को गायब कर दिया है। करीब एक घंटे तक जब सूचक की बेटी वापस नहीं आयी तो सूचक अपने परिजनों के साथ पवन राय के घर जाकर उसकी पत्नी अभिलाषा देवी व डिंपु कुमारी से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ किये तो उल्टे सूचक का गाली गलौज करते हुए सूचक को घर से भगा दिया। सूचक अपनी बेटी को खोजने के क्रम में पता चला कि पवन राय ने सूचक की बेटी को भगाकर ले गया है जब पवन राय के मोबाईल पर फोन किये तो उसने सूचक का नंबर ब्लॉक कर दिया है। सूचक को शक है कि पवन राय, अभिलाषा देवी व डिंपु कुमारी तीनों ने मिलकर साजिश के तहत सूचक की बेटी को गायब किया हे। विदित हो कि इससे पूर्व दिनांक 26.01.2025 को भी पवन राय ने दिन के 11 बजे सूचक की बेटी रानी कुमारी को घर से लेकर गया था तथा रात के 8 बजे घर पहुंचा दिया था।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 188/2026

लगातार

06.06.2026 विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद हैं तथा प्राथमिकी में इनके विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक की 15 वर्षीय बेटी रानी कुमारी को साजिश के तहत गायब किये जाने के बाबत कांड दर्ज कराया गया है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

प्रचालित अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख के साथ कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2),140(3),61(2),352,3(5) B.N.S. के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। अपहृता/पीड़िता के आधार कार्ड में उसकी जन्म तिथि दिनांक 01.01.2010 अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि घटना के समय अपहृता/पीड़िता नाबालिग थी। पीड़िता/अपहृता का धारा 183 बी0एन0एस0 के अंतर्गत लिया गया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि पवन राय हमको बहला फुसलाकर जगतपुर ले गया और वहां से हमको जबरदस्ती दिल्ली ले गया, वहां हमको नहीं रखा तथा वह बोल रहा था कि तुमको बेचेंगे। हमको मारपीट करता है। कंडिका 4,6,7,8 पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधान अभी जारी है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप गंभीर है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त पवन राय उर्फ पवन कुमार राय की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
नवगछिया, भागलपुर।